प्रकरण संख्याः— 30/2024

मदन लाल विश्नोई बनाम राजू उर्फ राजकुमार व अन्य

दिनाक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम दरीबा पटवार हल्का दरीबा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तह० एवं जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 617 में आराजी संख्या 488, 489, 490, 524, 525, 572, 573, 710 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7050 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 1 लगायत 12 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थी संख्या 01 का 1/36 वां हिस्सा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के 1/36 वे हक हिस्से से अधिक अर्थात 1/27 वां हिस्सा अंकन कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा लिया जो आरम्भ से ही शून्य होकर उक्त शून्य दस्तावेज जो दिनांक 15.09.2015 को पंजीयन करवाया है उस शून्य दस्तावेज से प्रार्थी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध जारी एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2024 को समाप्त किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के 1/36 वे हक हिस्से से अनुशाल अधिक अर्थात 1/27 वां हिस्सा अंकन कर विकय पत्र दिनांक 15.09.2015 का पंजीयन करवाया जो अवैध होने से प्रार्थी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के वादग्रस्त आराजियात में 1/36 वे हक हिस्से की हद तक प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतएव **—: आदेश :—** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 8/4/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	